अति–आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम. बंध कार्यालय परिसर,शास्त्री नगर, दिल्ली–110031
दूरभाष संख्या:22424989

सं. सी.ई.एफ / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2019 / 8254-57 दिनांक 28-11-19

सेवा में

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः–विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 56 दिनांक 02–12–2019 के संबध मे।

महोदय,

आपके पत्र संख्या एफ.11(बी–1)VI/2015-20/वि.स.स. / प्रश्न शाखा / 2233 दिनांक 22–11–2019, जो कि सिंचाई एवं बाढ. नियंत्रण मंत्री के सचिव को संबोधित है, के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

शिव कुमार

(शिव कुमार)
कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी

सं. सी.ई.एफ / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2019 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, वरूणालय , फेज–II करोल बाग, नई दिल्ली –05 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली –54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक

अतारांकित प्रश्न संख्या : 56

दिनांक : 02–12–2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रसं.	प्रश्न	उत्तर
क)	मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र की एसबीआई–को–ऑपरेटिव कॉलोनी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कौन–कौन से कार्य किए जा रहे हैं,	मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में स्थित एसबीआई–को–ऑपरेटिव कॉलोनी का नाम आवंटित अनाधिकृत कालोनियों में शामिल है जिसके तहत इस विभाग द्वारा सड़कों व नालियों के निर्माण संबंधित कार्य, इस कालोनी में प्रस्तावित है ।
ख)	इन सभी कार्यों की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है,	उपरोक्त कार्य को कियान्वित करवाने के लिए विभाग द्वारा उचित कार्यवाही जैसे कि प्रशासनिक अनुमति व वित्तीय स्वीकृति लेना और टेंडर को अवार्ड करना इत्यादि कर दी गई थी। परंतु मौके का मालिकाना हक राजस्व विभाग से स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण इस कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।
ग)	इनमें से किस किस काम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं,	उपरोक्त 'ख' के अनुसार इस कार्य को करवाने हेतु एक ही टेंडर आवार्ड किया था।
घ)	इन कार्यों में से कितने कार्य नियत समयावधि से विलंब से चल रहें हैं,	उपरोक्त 'ख' के अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।
ड)	इन कार्यों में विलंब का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है, और	विलंब का कारण उपरोक्त 'ख' में दिया गया है।
च)	इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभवना है?	राजस्व विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण के उपरांत ही यह शुरू किया जाएगा।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी (सि.एवं.बा.नि.वि.)